

परिवार के लोगों को नार्वे बुलाने वालों के लिये सूचना-

किसी नये देश में स्थान परिवर्तन व्यक्ति को नई सम्भावनाएँ और अन्जान चुनौतियाँ देता है। किसी नये देश में अच्छी तरह से जीवन बिताने के लिए उस देश के विषय में ज्ञान प्राप्त करना (जानना) आवश्यक है। खेद से कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो नार्वे में आते हैं उनको कई कठिन हालातों (मुश्किलों) का सामना करना पड़ता है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि व्यक्ति किस प्रकार अपनी व्यवस्था करेगा। यह सूचना नार्वे में आकर उन्हीं रहने वालों की कठिनाईयों के बारे में लाभदायक (फायदेमन्द) सिद्ध होगी।

नियम -

नार्वेजियन नियम उन सबके लिए लागू होते हैं जो नार्वे में रहते हैं।

अगर नार्वेजियन नियम और धार्मिक नियम एक दूसरे के विपरीत हैं तो हमेशा नार्वेजियन नियम ही लागू होंगे। स्त्री (औरत) और पुरुष (आदमी) के बीच समान अधिकार नार्वे में आधारभूत सिद्धान्त है, और यह नार्वेजियन कानून में दिया हुआ है। स्त्री (औरत) और पुरुष (आदमी) को शिक्षा, कार्य और सांस्कृतिक तथा विशेष विषय विकास की सम्भावनाओं का समान अधिकार है। धर्म, जाति सम्बन्धित तथा लिंग के आधार पर पक्षपात की अनुमति नहीं है।

शादी/ ब्याह -

एक से अधिक शादी की अनुमति नहीं है।

एक से अधिक शादियाँ करना मना है। कई शादियाँ करने पर जेल की सज़ा हो सकती है। चाहे दूसरे देश में कई शादियाँ हुई हों, नार्वे में परिवार के साथ रहने का अधिकार केवल एक ही पति / पत्नी को है।

नार्वेजियन कानून के अन्तर्गत पति/ पत्नी का एक दूसरे की तथा अपने बच्चों की देखभाल करना उनका कर्तव्य है। शादीशुदा लोगों का यह भी कर्तव्य है कि वह एक दूसरे को सारी सूचना दें जिससे परिवार की आर्थिक व्यवस्था को सही अर्थों में देखा जा सके।

ध्यान रहे ! अपने दस्तावेज (प्रमाणपत्र) -

केवल स्वेच्छा से (अपनी मर्जी से) की गई शादी ही नार्वे में मान्य है।

ज़बरदस्ती की शादी करने पर सज़ा है।

माता-पिता या दूसरे बुजुर्ग (बड़े) १८ (18) वर्ष से कम बच्चों की तरफ से जो शादी का समझौता करते हैं, वह नार्वे में कानूनी तौर पर मान्य नहीं है जो (व्यक्ति) यदि किसी दूसरे को दबाकर

या ज़बरदस्ती शादी करता है/करवाता है, उसको कारावास (जेल) की सज़ा हो सकती है।
परिवारिक संगठन (पुनर्मिलन) के आधार (नाम) पर किसी दबाव में (ज़बरदस्ती) की गई शादी नहीं मानी जायेगी।

तलाक (सम्बन्ध-विच्छेद) -

स्त्री (औरत) और पुरुष (आदमी) को तलाक लेने का समान अधिकार है।

नार्वेजियन तलाक के नियम लिंग के, किसी जाति विशेष और धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं करते। चाहे वह तलाक की बात हो या फिर तलाक के बाद आर्थिक स्थापना (समझौते) की।

नार्वे में ली गई तलाक किसी दूसरे देश में किस तरह से मानी जायेगी, यह उस देश के नियमों पर आधारित है। इसी तरह से तलाक के बाद रोजमर्रा की देखभाल, बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी के नियम दोनों पति-पत्नी के लिए समान हैं।

बच्चे -

नार्वे में बच्चों के अपने अधिकार हैं।

नार्वेजियन कानून के अनुसार १८ (18) साल से कम के व्यक्ति बच्चे माने जाते हैं। सभी बच्चे आत्मनिर्भर हैं। कानूनी अधिकार और माता-पिता से आवश्यक देखभाल का बच्चे अधिकार रखते हैं। ६ (6) वर्ष पूरे होने पर स्कूल जाना और दस साल की स्कूली शिक्षा पूरी करना सभी बच्चों का अधिकार और कर्तव्य है। माता-पिता का यह देखना कर्तव्य है कि बच्चे स्कूल जायें।

अगर बच्चे या युवा किसी ऐसे हालात के अन्तर्गत रहते हैं जो उनके स्वास्थ्य और विकास को खराब करता है, तो उनको रोकने के लिए नार्वेजियन सरकार कार्यवाही करेगी। बच्चे को शारीरिक सज़ा देने की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ यह है कि उदाहरण के लिए बच्चों को मारना मना है।

हिंसा/ मारपीट -

सभी जिनपर हिंसा का प्रयोग किया गया हो, नार्वेजियन सरकार से सहायता का अधिकार रखते हैं। यह बात उनके लिए भी लागू होती है जिन्हें परिवार के सदस्यों से मार पड़ती है।

परिवार में मारपीट नार्वे में सज़ा पाने योग्य है और पुलिस परिवारिक मारपीट की जरूरी जाँच तथा सज़ा के बारे में तय करती है। इसके साथ-साथ शारीरिक और मानसिक हिंसा/ मारपीट के अन्तर्गत धमकी, जबरदस्ती, देखभाल न करना भी नार्वे में हिंसा है। पति-पत्नी या बच्चों के खिलाफ मारपीट करने पर ८ (8) साल तक के कारावास (जेल) की सज़ा हो सकती है।
परिवारिक सदस्यों के साथ मारपीट करने पर दूसरी हिंसा से कहीं अधिक सख्त सज़ा हो सकती है।

स्त्रियाँ (औरतें) जिनको नार्वे में अपने पति या साथ रहने वाले के आधार पर परिवार के साथ रहने की अनुमति मिली हुई है, अगर उनके साथ किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार किया गया है, वे अपने अलग रहने की अनुमति (आज्ञा) के लिए आवेदन दे सकती हैं। चाहे वह उस व्यक्ति के साथ अब न रहती हों, यह बात तब भी लागू होती है।

सामान्य तौर पर व्यक्ति परिवारिक संगठन के आधार पर तीन वर्ष (साल) इस देश में रहने के पश्चात अपने स्थायी रूप से रहने की अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है।

बढ़ती हुई हिंसा की स्थिति में पुलिस को दूरभाष (टेलिफोन) ११२ (112) पर सहायता के लिए सम्पर्क करें। स्त्रियाँ (औरतें) जो किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार हैं, संकटकालीन केन्द्र (एमरजन्सी-सेन्टर) को भी सम्पर्क कर सकती हैं। संकटकालीन केन्द्र /आपातकालीन केन्द्र (एमरजन्सी-सेन्टर) दुर्व्यवहार की शिकार स्त्रियों (औरतों) को सुरक्षा प्रदान करता है।

जानना लाभदायक है !

वीज़ा (किसी देश में प्रवेश की अनुमति/ प्रवेश पत्र)

नार्वे शैगेन समझौते के अन्तर्गत आता है। शैगेन देशों का वीज़ा (पर्यटक अनुमति पत्र) इसी शर्त पर या यह मानकर दिया जाता है कि आवेदनकर्ता वीज़ा (अनुमति पत्र) का समय समाप्त हो जाने पर वह क्षेत्र छोड़ देगा। अगर आप नार्वे में अनुमति प्राप्त (मिले) समय से अधिक रहते हैं तो आपको देश से निकाल दिया जायेगा। आपको बाद में या दोबारा रहने की वीज़ा (अनुमति पत्र) प्राप्त करने के लिए कठिनाई भी हो सकती है।

पर्यटक वीज़ा (अनुमति पत्र) आपको नार्वे में काम करने की अनुमति (इज़ाज़त) नहीं देता है। वीज़ा (अनुमति पत्र) के विषय में आप और अधिक जानकारी विदेश सेवा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

काम और रहने की आज्ञा/अनुमति -

आप काम और रहने की अनुमति प्राप्त करने के लिए विदेश सेवा कार्यालय (दफ्तर) में आवेदन दे सकते हैं। अगर आपके पास प्राथमिक (बेसिक) स्कूली शिक्षा के बाद तीन साल की प्रशिक्षण शिक्षा है तो आप विशेषज्ञ के रूप में कार्य करने की अनुमति का आवेदन दे सकते हैं।

साधारणतः नार्वे में कार्य या रहने की अनुमति का एक साल के बाद नवीनीकरण (दोबारा से अनुमति लेना) होता है। तीन साल के बाद व्यक्ति पूर्णतः स्थापित होने के लिए या देश में स्थायी रूप से रहने के लिए आवेदन कर सकता है।

पूर्णतः स्थापित होने की या स्थायी रूप से रहने की अनुमति की कोई समय सीमा नहीं है और

इसके लिए उसके नवीनीकरण (दोबारा अनुमति लेने) की आवश्यकता नहीं है। इसके विषय में और अधिक सूचना आप विदेशी निर्देशक संस्था (दफ्तर) से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप कृपया www.udi.no भी देखें।

नार्वे में -

कई नगरों/शहरों के अपने शरणार्थी मार्गदर्शक (सलाहकार) हैं। शरणार्थी मार्गदर्शक (सलाहकार) एक ऐसा व्यक्ति है जो विदेशियों तथा शरणार्थियों की स्वेच्छा से मदद करता है और उनको व्यवहारिक सुझाव तथा मार्गदर्शन देता/करता है।

शरणार्थी मार्गदर्शिका पुस्तिका पढ़ने से आप अपने आसपास और नार्वेजियन समाज के विषय में बहुत कुछ जान सकते हैं और नार्वेजियन भाषा का अभ्यास कर सकते हैं। यह व्यवस्था निःशुल्क (मुफ्त) है। शरणार्थी मार्गदर्शिका पुस्तिका प्राप्त करने के लिए स्थानीय शासन से सम्पर्क करें।

अधिकतर नगरों/शहरों में विदेशियों के लिए नार्वेजियन भाषा सिखाने की व्यवस्था है। अधिक जानकारी के लिए स्थानीय शासन से सम्पर्क करें।

सूचना सम्पर्क -

- शरणार्थियों की स्वयं मदद के लिए www.seif.no
- ओस्लो रेड क्रॉस दबाव में की गई (ज़बरदस्ती) शादी के विषय में मदद और सुझाव देता है।
- दूरभाष (टेलिफोन) ८१ ५५ ५२ ०१ (81 55 52 01) (समय- ०९-१८ (09-18))
- www.krisesenter.com के पास नार्वे के सभी आपातकालीन केन्द्रों के पते तथा दूरभाष (टेलिफोन) नम्बर हैं।
- रोजगार कार्यालय Aetat आपको काम ढूँढने में मदद करता है।
जहाँ आप रहते हैं, वहाँ के Aetat से सम्पर्क करें या www.aetat.no देखें।
- विदेशी निर्देशक दफ्तर (UDI): २३ ३५ १५ ०० (23 35 15 00) - www.udi.no.
- पुलिस : ०२८०० (02800) आपातस्थिति (आवश्यकता के समय):
- अग्नि (आग लगने पर) ११० (110), पुलिस दूरभाष (टेलिफोन) ११२ (112), अस्पताली वाहन/गाड़ी (एंबुलेंस) दूरभाष (टेलिफोन) ११३(113)।